(ङ) मलवहन, कूड़ा–करकट तथा गलियों में फेंकी गई घृणोत्पादक पदार्थ अथवा द्वीप परिषद द्वारा गलियों, शौचालयों, पेशाबघरों, नहरों, मैला डालने की जगह तथा अन्य स्थान; तथा

(च) सार्वजनिक लैम्पों, लैम्प पोस्टों तथा उसमें लगे अथवा इससे संबंधित उपकरणों ।

(2) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी मार्केटों तथा मेलों या उसके भाग, जिसे द्वीप परिषद द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित किया जाएगा तथा इसके उगाही के लिए बकाया अथवा अधिरोपित बकाया द्वीप परिषद में जमा किया जाएगा ।

शुल्क आदि का पट्टे देना

78. यदि धारा 75 के अंतर्गत ऐसे किसी फीस को लगाया गया है तो मार्केटों तथा बाजारों की सार्वजनिक नीलामी करके इसे पट्टे पर देना अथवा निजी करार द्वारा किसी फीस को इकट्ठा करना द्वीप परिषद के लिए विधि सम्मत होगा ।

कर तथा अन्य बकाया राशि की वसूली

79. (1) जब द्वीप परिषद को देय कोई कर अथवा फीस अथवा अन्य राशि हो तो द्वीप परिषद कम से कम व्यावहारिक विलम्ब के साथ इसके भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को देय राशि के लिए निर्धारित फार्म में मांग सूचना भेजेगा और इस सूचना के जारी होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने को कहेगा ।

(2) विहित अनुसार उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रत्येक मांग सूचना भेजी जाएगी ।

(3) यदि ऐसी राशि जिसके लिए मांग सूचना भेजी गई है और ऐसी सूचना भेजा गया है और ऐसी सूचना भेजने की तिथि से तीस दिनों के भीतर भी इसका भुगतान नहीं किया गया है, तो द्वीप परिषद विहित अनुसार इसकी वसूली के लिए संबंधित सहायक आयुक्त को आवेदन करेगा ।

लेखा

80. प्रत्येक द्वीप परिषद विहित अनुसार अपने प्राप्तियों एवं खर्चों के लेखा का रख–रखाव करेगा ।

द्वीप परिषद का बजट

81. (1) प्रत्येक द्वीप परिषद विहित अनुसार ऐसे समय पर और ऐसे तरीके से अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बजट का अनुमानित प्राप्तियाँ तथा संवितरण विवरण तैयार करेगा और इस बजट को उपायुक्त के पास जमा करेगा ।

(2) उपायुक्त बजट को 30 दिनों के भीतर या तो अनुमोदित करेगा या फिर इसे संशोधन हेतु द्वीप परिषद को वापस कर देगा, जैसा वह निर्देश देता है ।

(3) यदि उप–धारा (2) के अंतर्गत कोई संशोधन किया जाता है तो बजट को 15 दिनों के भीतर उपायुक्त के पास दुबारा जमा किया जाएगा ।

(4) किसी भी प्रकार का खर्च नहीं किया जाएगा जब तक कि उपायुक्त द्वारा बजट को अनुमोदित अथवा अनुमोदित किया हुआ समझा जाएगा ।

बशर्ते कि यदि उपायुक्त बजट जमा करने अथवा दुबारा जमा करने से 30 दिनों के भीतर अपने अनुमोदन की सूचना नहीं दे पाता है तो बजट को अनुमोदित हुआ समझा जाएगा ।

(5) द्वीप परिषद बजट में संशोधन करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक अनुपूरक अनुमान तैयार करेगा और इसे विहित अनुसार इस अवधि के भीतर अनुमोदन के लिए उपायुक्त के पास जमा करेगा ।

लेखा परीक्षा

82. (1) प्रत्येक द्वीप परिषद के लेखा का विहित अनुसार उसी रीति में वार्षिक लेखा परीक्षा की जाएगी ।

(2) उपायुक्त को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि वार्षिक लेखा परीक्षा विहित रीति अनुसार की गई है ।

(3) उपायुक्त रिपोर्ट पर विचार करने तथा उसकी आगे जाँच करने के बाद जो वह आवश्यक समझे रिपोर्ट से किसी मद को हटाने का आदेश दे सकते हैं जो विधि के प्रतिकूल प्रतीत होता है तथा अवैध भुगतान करने अथवा प्राधिकृत करने के उस व्यक्ति पर अधिभारित किया जा सकता है ।